रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के पी सिटी– 67/2018–20

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही,
कानपुर–208014

वर्ष –41 ● अंक –7 एवं 8 (संयुक्तांक) ● कानपुर 16 से 30 अप्रैल 2019 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹100

बिना पंजीयन के प्रैक्टिस न्यायालय की अवमानना

चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए चिकित्सकीय अर्हता के साथ सम्बन्धित चिकित्सा परिषद में पंजीयन के साथ–साथ जिस जनपद में चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं या करना चाहते हैं उस जनपद में स्थानीय स्तर पर भी पंजीयन का होना अनिवार्य है, इस हेतु सरकार द्वारा कोई कानून तो नहीं बनाया गया है परन्तु माननीय न्यायालयों के निर्देशानुसार शासनादेश अवश्य जारी किये गये हैं अद्यतन स्थिति के अनुसार एलोपैथिक चिकित्सकों/चिकित्सालयों का पंजीयन जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में, इसी प्रकार होम्योपैथी चिकित्सकों/चिकित्सालयों का पंजीयन जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के कार्यालय में तथा आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सकों/चिकित्सालयों का पंजीयन क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी के कार्यालय में होने का प्रावधान किया गया है जिलों में पंजीकृत सभी चिकित्सकों को प्रतिवर्ष 30 अप्रैल से पूर्व अपने पंजीयन का नवीनीकरण कराना होता है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों /चिकित्सालयों के पंजीयन के लिए अभी तक कोई व्यवस्था निर्मित नहीं की गयी है जबकि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लम्बित अवमानना वाद सं0 820/2002 राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम श्री ए0 पी0 वर्मा मुख्य सचिव उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28 जनवरी, 2004 के निर्देशानुसार आदेशित किया गया है कि सभी प्रमाणपत्र प्रदाता संस्थाओं को शासन में तथा सभी चिकित्सकों को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में कराना आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश में एक मात्र संस्था को उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग–6 ने कार्यालय ज्ञाप संख्या 2914/पाँच– 6–10–23 रिट/11 दिनांक 04–01–2012 के द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया जिसके आदेशानुसार बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0 प्र0 इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति की शिक्षा, चिकित्सा, रजिस्ट्रेशन, अनुसंधान एवं विकास हेतु कार्य करता है।

महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 ने अपने पत्र संख्या अभि0 दर्शा0/2013/2399 दिनांक 02–09–2013 एवं 14 मार्च, 2016 द्वारा प्रदेश के समस्त अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को अपने मण्डल के समस्त जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को अपने स्तर से उक्त कार्यालय ज्ञाप को परिचालित कराने हेतु शासकीय आदेशानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है।

इसलिए अपना पंजीयन प्राथमिकता के आधार पर करवायें पुष्ट सूत्रों द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ चिकित्सक ऐसे हैं जो वर्षों से चिकित्सा कर रहे हैं लेकिन उनका पंजीयन आज तक अपनी परिषद में नहीं है ऐसा कृत अपराध की श्रेणी में आता है। भविष्य में होने वाली परेशानी से बचने के लिए तथा चिकित्सा व्यवसाय बिना बाधा के चलता रहे इसके लिए आप तत्काल अपना पंजीयन अपनी परिषद में अवश्य करा लें और उन पंजीकृत चिकित्सकों को भी आगाह किया जाता है कि जिनकी पंजीयन की मान्य अवधि समाप्त हो चुकी है वह अविलम्ब अपना नवीनीकरण कराकर अनावश्यक परेशानी से बचें,कारण मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अधिकृत पंजीकृत चिकित्सकों की सूची प्रेषित की गयी है यह कदाचित चेतावनी नहीं है अपितु आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है।

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 अपने चिकित्सकों के संरक्षण के लिए सदैव तत्पर रहता है। आपकी रक्षा तभी हो सकती है जब आप भी विधि सम्मत ढंग से कार्य कर रहे हों, अस्तु एक बार पुनः आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भविष्य में आने वाली किसी भी परेशानी बचने के लिए पहले अपना पंजीयन नवीनीकृत करवायें फिर मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन हेतु आवेदन करें। ये दोनों कार्य सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा ही सम्पादित होने हैं इसलिए इस विषय पर ज्यादा सोच–विचार की आवश्यकता नहीं है।

मुख्य चिकित्साधिकारी लगातार सहयोग कर रहे हैं लेकिन जब हम स्वयं वहां नहीं पहुचेंगें तो अधिकारी हमारे बारे में कोई निर्णय कैसे लेंगे! अन्त में आपको एक बात और स्पष्ट हो जानी चाहिये कि प्रदेश में अभी भी कुछ लोगों द्वारा यह बात ज़ोर–शोर से कही जाती है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन की कोई आवश्यकता नहीं है जबकि अनेक जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों में चेतावनी भी प्रकाशित करायी गयी है।

प्रदेश में प्रशिक्षित व विधिक रूप से पंजीकृत चिकित्सक ही प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने एवं मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में पंजीयन के पात्र हैं, 21 जून 2011 भारत सरकार का आदेश पूरे देश के इलेक्ट्रो होम्योपैथों को विधिक तौर पर स्थापित करता है, इसके अनुपालन में 4 जनवरी, 2012 को जारी शासनादेश उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को शासकीय श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है इसलिए अब विचलन के लिए कोई स्थान नहीं है।

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 से पंजीकृत सभी चिकित्सकों को स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि वे निर्धारित और स्थापित मापदण्डों का अनुपालन करते हुए तत्काल अपना नवीनीकरण करवायें और मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में पंजीयन/ नवीनीकरण हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत करें, ऐसा न करने पर यदि निकट भविष्य में कोई परेशानी होती है तो इसकी ज़िम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

व्यवस्था की भावनाओं के अनुरूप कार्य करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, विदित हो कि उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग– 6 द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों / चिकित्सालयों के पंजीयन हेतु महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 की अध्यक्षता में एक समिति के गठन हेतु शासनादेश भी दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को जारी किया जा चुका है जो समिति निरन्तर काम में लगी हुई है तथा अनेक प्रदेशों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विषय में सूचनायें एकत्र कर रही है आशा है कि शीघ्र ही चिकित्सकों के पंजीयन के सम्बन्ध में कोई सकारात्मक निर्णय होने की सम्भावना है।

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की वार्षिक सामान्य बैठक सम्पन्न

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ.प्र. की वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक 10 अप्रैल 2019 को बोर्ड के प्रशासनिक कार्यालय कानपुर में बोर्ड के चेयरमैन डा. एम.एच. इदरीसी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी, सर्वप्रथम रजिस्ट्रार डा. अतीक अहमद ने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुये गत वर्ष की प्रगति आख्या, वर्ष 1917–18 का आय–व्यय का लेखा जोखा तथा वर्ष 2019–20 का बजट प्रस्तुत किया जिसपर उपस्थित डा. राजेन्द्र प्रसाद, डा. ओम शंकर मिश्र, डा. संजय द्विवेदी, डा. पी. एन. कुशवाहा, डा. आमिर बिन साबिर, डा. अयाज़ अहमद एवं डा. एस. के. सक्सेना ने प्रस्तुत रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा की तथा भावी रणनीति अपने–अपने विचार व्यक्त किये तथा डा. सक्सेना ने कहा कि बोर्ड से पंजीकृत विभिन्न जनपदों में चिकित्सकीय कार्य में लिप्त समस्त इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों की जाँच की जाये कि वे कि वैध रजिस्ट्रेशन के साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से प्रैक्टिस कर रहे हैं अथवा नहीं यदि नहीं तो उनपर कार्यवाही की जाये इसके साथ ही सर्व सम्मति से वर्ष 2019–20 का बजट पारित किया गया।

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की वार्षिक सामान्य बैठक में बायें से दायें डा0 एम0 एच0 इदरीसी(चेयरमैन–B.E.H.M.U.P.) डा0 राजेन्द्र प्रसाद, डा0 ओम शंकर मिश्र,डा0 संजय द्विवेदी, डा0 पी0 एन0 कुशवाहा, डा0 आमिर बिन साबिर, डा0 अयाज़ अहमद एवं डा0 एस0 के0 सक्सेना (सभी माननीय सदस्यगण–B.E.H.M.U.P.)

प्रतिबद्धता के साथ प्रयास करने होंगे

"सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे जितना शोर मचालो, कि **चलो दिल्ली ! चलो राजस्थान !! चलो कर्नाटका या चलो मुम्बई !!!घेराव करने** बस अब मान्यता मिलने वाली है बस थोड़ा और समय दो, यह सभी बातें सुने में तो बहुत अच्छी लगती हैं परन्तु यर्थाथ के धरातल पर सच्चाई ही सामने आती है, सच दिखता तो देर से है परन्तु सच्चाई कभी पराजित नहीं होती है।"

आगे बढ़ने, ऊँचा उठने और सामान्य से कुछ अधिक कर गुज़रने की आकांक्षा हर व्यक्ति की होती है इसके लिए बाहरी सहयोग और अनुकूलताओं की प्रतीक्षा में कितने ही व्यक्ति रहतें हैं ऐसे विरले ही होते हैं जिन्हें अभीष्ट परिणाम जन्म से ही मिल जाता है फिर भी बहुसंख्यक ऐसे होते हैं जिन्हें अपना मार्ग स्वयं बनाना होता है अपनी परिस्थितियां स्वयं गढ़नी पड़ती हैं। संकल्प के सहारे ऐसे पुरूषार्थी असम्भव को भी सम्भव कर देते हैं ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कुछ ज़िम्मेदार कर रहे हैं जिससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी का रास्ता दुर्लभ होता जा रहा है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता की प्रक्रिया की अवधि बढ़ती जा रही है धैर्य रखने और सभी संस्था प्रमुखों को आपस में सामंजस्य बनाये रखने की आवश्यकता है ,जब भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी मान्यता की ओर दो कदम बढ़ाती है तभी कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिससे फिर प्रक्रिया वहीं की वहीं पहुँच जाती है लोगों द्वारा कहा जाता है कि चलो दिल्ली इस बार आर पार की बात होगी, अब मान्यता मिलने ही वाली है, धरना दिया जाये, सभी लोग एकत्र होकर अपनी लड़ाई लड़ें, कभी यह कह दिया जाता है कि इस बार अवश्य मान्यता मिल जायेगी, सभी लोग अमुक स्थान पर पहुँचें यह सब बातें कहने या सुनने में तो अच्छी लगती हैं लेकिन धरातल पर कुछ और ही होता है।

अभी सरकार द्वारा अपने नवीनतम पत्र के माध्यम से पूरी अन्तर विभागीय समिति की कार्यवाही पर प्रकाश डालते हुए यह स्पष्ट करना चाहा है कि अब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रतिवेदन देयताओं द्वारा जो कुछ भी दिया गया है वह शून्य की स्थिति में है इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि **DHR** *को उसी रूप में प्रस्ताव चाहिये जैसा कि उसने न्यूनतम आवश्यक एवं एच्छिक मापदण्ड निर्धारित किये हैं उससे अलग उसे कुछ भी मंजूर नही है, बात स्पष्ट एवं वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होनी चाहिये। इसमें समयबद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये गये हैं, सरकार के इस भाव से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की सोच जो सकारात्मक थी अब उसमें नकारात्मकता का भाव दिख रहा है इसके बावजूद सरकार एक बार फिर आपको अवसर देना चाहती है अब यह आप पर निर्भर करता है कि आपकी प्रस्तुती सरकार के निर्देशों के अनुरूप होती है या अब भी राजस्थान या अन्य किसी राज्य अथवा किसी अन्य देश का ही उदाहरण देंगे। सरकार द्वारा जारी पत्र से यह बात तो स्पष्ट है कि सरकार ने सहज में यह पत्र जारी नही किया है सरकार को यह भी मालूम है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के शीर्ष नेता विषय को आसानी से समाप्त नहीं होने देंगे आवश्यकता पड़ने पर शीर्ष न्यायालय तक अपनी बात ले जायेंगे उन्हें चाहे सफलता मिले अथवा न मिले, लेकिन हमारे शीर्ष नेता यदि इसी तरह का आचरण करते रहेंगे तो निःसन्देह वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी का नुकसान ही नहीं करेंगे अपितु इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति अविश्वास का भाव भी उत्पन्न कर देंगे यदि ऐसा होगा तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों में वे निराशा को जन्म ही नहीं देंगे अपितु इससे जुड़े लाखों लोगों को प्रभावित भी कर देंगे। सरकार द्वारा इंगित एवं निर्देशित सभी पक्षों को चाहिये कि सरकार द्वारा वांछित प्रस्तावों को निर्धारित बिन्दुओं के अनुसार तैयार कर सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें जिससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी को बहु प्रतीक्षित सफलता प्राप्त हो सके यदि ऐसा करने में असफल होते हैं तो इस असफलता की ठीकरा उनके सिर ही फूटेगा जिन्होंने सरकार को यह करने के लिए बाध्य किया है।*

अब सभी सम्बन्धित पक्षों को चाहिये कि वह अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए एकाग्र मन से प्रस्ताव तैयार करने में लग जायें और निर्धारित समय सीमा के अन्दर ही सरकार को प्रस्ताव उपलब्ध करा दें यह समझना चाहिये कि कोई कार्य कठिन नहीं होता है, केवल कार्य प्रबल इच्छा के साथ किया जाये प्रगति के पथ पर बढ़ने के लिए हमें हर हालत में अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना होगा, इच्छा शक्ति के विकास के लिए हमे सच्चे हृदय से पूरी सजगता एवं प्रतिबद्धता के साथ प्रयास करने होंगे तभी सफलता के मार्ग में प्रवेश कर सकेंगे।

ज़माने के साथ अब तो बदलना ही होगा

इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सबसे अधिक जो कमी है वह है बदलाव की क्योंकि यहां हर शीर्ष संस्था वाला मान्यता तो चाहता है पर वह अपने आप को समय के अनुसार बदलना नहीं चाहता, अपनी मनमर्ज़ी की बात कहकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को और अधिक नुकसान पहुँचा देता है लोग अपना–अपना तंबूरा लेकर अलग–अलग राग अलाप रहे हैं जो ठीक नहीं है, अब लोगों को बदलना ही होगा अभी जो सरकार का नवीनतम आदेश आया है वह यह इंगित करता है कि जब तक लोग बदलेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है, **सरकार ने अनेक बार कहा कि सभी लोग एक होकर एक प्रतिवेदन निर्धारित बिन्दुओं के अनुसार ही दें** लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं, अपनी अपनी ढपली अपना–अपना राग अलापते रहते हैं परिणाम आप के सामने है।

सरकार ने फिर आपको अवसर दिया है, अभी समय है कि बदल जायें और एकत्र होकर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, यह सर्व विदित है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रचार, प्रसार, प्रशिक्षण, चिकित्सा एवं अनुसंधान कार्य में अनेकानेक संस्थायें एवं चिकित्सक कार्यरत हैं परन्तु इनके बीच तालमेल के अभाव के कारण सफलता में विलम्ब होता जा रहा है अतएव अब समय की मांग है कि लोगों को बदलना ही होगा, लोगों को चाहिये कि एक समूह की छत्र–छाया में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अपना योगदान सुनिश्चित करें, सभी संस्थायें एवं चिकित्सकों को पुरानी बातों को भुलाकर केवल और केवल कार्य में लग जाना चाहिये, अपनी योग्यता एवं अनुभव के अनुसार कार्य करते हुए आगे बढ़ें, यदि अभी भी अपनी–अपनी चलायी गयी तो कार्य बहुत कठिन हो जायेगा क्योंकि यह कार्य सामुहिक होना चाहिये था न कि अलग अलग, पद्धति एक है और सभी की है इसमें सबको मिल कर ही कार्य करना होगा।

आवश्यकता है स्वयं को स्थापित करने की ! यह कोई समस्या की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि स्थापित होने के लिये कार्य करके स्वयं को प्रमाणित करना पड़ता है यदि हमारा कार्य जनोपयोगी है तो हमारी पूछ स्वयं ही होगी किसी शायर की यह पंक्तियां कि–

ख़ुद ही को कर बुलन्द इतना कि हर तदबीर से पहले !
ख़ुदा बन्दे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है !!

इसलिये कर्म करो!
गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है ....
कर्म करो !
फल की चिन्ता मत करो !!

हर मतावलम्बी एक ही बात कहता है कर्म प्रधान विश्वरचि राखा लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथों को कर्म की तुलना में अधिकार की ज़्यादा महत्ता है और इसी सोच ने नई–नई समस्याओं को जन्म दिया है। जो लोग सी0 एम0 ओ0 कार्यालय में आवेदन किये बिना प्रैक्टिस कर रहे हैं वह लाख पढ़े लिखे हों और अपनी काउन्सिल में विधिवत पंजीकृत भी हों फिर भी झोलाछाप की श्रेणी में आ जाते हैं।

इलेकट्रो होम्योपैथी के लिये प्रदेश सरकार द्वारा 04 जनवरी, 2012 को शासनादेश जारी कर प्रदेश के इलेकट्रो होम्योपैथी के ऐसे चिकित्सक जो बोर्ड ऑफ इलेकट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 से शिक्षित, प्रशिक्षित व पंजीकृत हैं को चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु शासकीय अधिकार प्रदान कर दिया है, इस प्रकार अब प्रदेश में इलेकट्रो होम्योपैथी अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति है इसलिये इस पद्धति के चिकित्सकों पर वही नियम प्रभावी हैं जो अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों पर हैं। अभी समय है अपने आपको बदल डालो यदि आप ज़माने के साथ नहीं चलेंगे तो ज़माना आपको बदल देगा। इसलिए सभी को चाहिये कि एक होकर सरकार द्वारा प्रदान किये गये अवसर का लाभ उठायें और निर्धारित समय सीमा के अन्दर सरकार को पुनः प्रतिवेदन दें परन्तु इस बात का भी ध्यान रखें कि सरकार जो चाहती है वही करें, नहीं तो पुनः वही स्थिति आ जायेगी। विदित हो कि भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अलेक्ट्रो होम्योपैथिक की चिकित्सा, शिक्षा, अनुसन्धान एवं विकास हेतु 21 जून, 2011 को जारी आदेश तथा इसकी पुष्टि में 21 दिसम्बर, 2017 को जारी पत्र से यह स्पष्ट है कि 21 जून, 2011 के आदेश की सार्थकता आज भी यथावत है, अतः समस्त संगठनों, पक्षकारों एवं हितैषियों को अपनी अग्रिम की जाने वाली कार्यवाही में 21 जून, 2011 के आदेश को पूर्ण रुप से ध्यान में रखकर ही कार्यवाही करें, इस कार्य में 25 नवम्बर, 2003 के आदेश को भली–भाँति समझें तथा अपने द्वारा तैयार किये गये संशोधित एवं परिवर्धित प्रस्ताव में उचित ढंग से समावेश करें यदि ऐसा नहीं किया तो भारत सरकार के आदेश दिनांक 19 मार्च, 2018 की पुनरावृत्ति होगी तथा डिग्री/डिपलोमा व डाक्टर (Dr.) शब्द के चक्रव्यूह में फिर फंस जायेंगे यदि ऐसा हुआ तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 01 मई, 2018 के आदेश का संज्ञान लिया जा सकता है अतः इलेकट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (E.H.M.A.I.) के पक्ष में 21 जून, 2011 के जारी आदेश को संजीवनी के रुप में प्रयोग में ला सकते हैं और अग्रिम कार्यवाही को प्रभावी बना सकते हैं।

लेख में समूह शब्द का प्रयाग किया है इस समूह से तात्पर्य निर्विवाद ग्रूप से है जिसका परीक्षण किसी भी स्तर पर नकारात्मक नहीं हुआ हो अर्थात किसी संगठन, सरकार अथवा न्यायालय द्वारा उसपर कोई टिप्पणी न की गयी हो, अच्छी बात तो यह है कि इस कार्य हेतु कोई तत्कालिक समूह का गठन कर लिया जाये।

आशा है कि हमारा आशय समझ में आ रहा होगा आप सभी को चाहिये कि अपनी उपलब्धियों से अवगत कराते हुए अपनी योग्यता और अनुभव से कार्य करते हुए तथा अपने आप को बदलते हुए समय के अनुसार चलने का प्रयास करेंगे।

MINIMUM STANDARD FOR RECOGNIZATION OF

ELECTRO HOMOEOPATHIC SYSTEM OF MEDICINE

Essential :-

- ***The system should have its own fundamental principles of health and disease, which must differ in concepts from those of recognised systems in th country. It should be a comprehensive system of health care and not restricted to few diseases only.***
- ***Substantial literature on concepts, aetiology, diagnosis and management of diseases like text books including Pharmacopoeia and formularies and preferably journals if any, should be available in the country of origin or in other countries where it is currently practiced.***
- ***Information on whether it is recognised officially as a system of medicine in thecountry of origin and / or in any other country where it is currently practiced.***
- ***Documented information on uniqueness of modalities of treatment may be drugs, devices or any other methods such as diet, massage, exercise, etc.***
- ***Standardised methods of preparation of Drugs / Devices used in the therapy and quality control procedures should be available.***

Desirable :-

- ***Prescribed Criteria for admission, curricula and training and details of such courses and list of teaching institutions in India / countries where it is currently recognised system of medicine.***
- ***Details of continuing medical education programmes and available research facilities.***

क्या आप चिकित्सक बनना चाहते हैं ?
प्रतिस्पर्धा की होड़ से बचें !
मँहगी डोनेशनयुक्त
मेडिकल शिक्षा लेने में असमर्थ हैं !
तो
इलेक्ट्रो होम्योपैथी विकल्प है
भारत सरकार के आदेश संख्या
C.30011/22/2010-HR
व
उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश
संख्या 2914 / पांच–6–10–23रिट / 11
एवं
2 सितम्बर 2013 को क्रियान्वित आदेश
के अनुसार
प्रदेश में विधि सम्मत ढंग से स्थापित
बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक
मेडिसिन, उ0प्र0
द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों
क्रमशः

G.E.H.S. अवधि 4+1 वर्ष
अर्हता 10 + 2 P.C.B.

M.B.E.H. अवधि 3 वर्ष
अर्हता 10 + 2 P.C.B.

F.M.E.H. अवधि 2 वर्ष (4 सेमेस्टर)
अर्हता 10 + 2 उत्तीर्ण

A.C.E.H. अवधि 1 सेमेस्टर
अर्हता किसी भी राज्य परिषद द्वारा
पंजीकृत चिकित्सक / 2 वर्षीय मेडिकल
अथवा पैरा मेडिकल पाठयक्रम
उत्तीर्ण चिकित्सक

में प्रवेश लेकर
अधिकारिक चिकत्सक बनकर
देश व समाज को चिकित्सा के क्षेत्र में
अपना योगदान दें।

विस्तृत जानकारी हेतु कृपया www.behm.org.in पर log in करें।